



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA/1 / 2166

Dated 18.04.2022

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to such Civil/Family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance of the recommendations of the Seventh Pay Commission.

Ref: 1. O.M. No. 325/XXVII (7)02/2016 dated 29.12.2021 of The Government of Uttarakhan, Finance (G.R.P.C.) Section - 7.
2. SSA No. P.A./Pension/2021-22 date / /2021 received from The Office of the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand, General Accountant Building, Kaulagarh, Dehradun - 248 195.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Principal Accountant General, Punjab regarding Sanction of Dearness Relief to such Civil/Family pensioners whose pension is revised in accordance of the recommendations of the Seventh Pay Commission. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)
Uttarakhand, General Accountant Building,
Kaulagarh, Dehradun - 248 195

Sr. Accounts Officer

P19/IV/DRSSA/98①

01/03/2022

P19

32/382
31/03/22

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135-2643683

iv
DRSSA

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/22-22/ 2793

दिनांक-22/3/22

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकाता	700001
19	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	निजोरम,	आईजोल	796001
25	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पॉंडीचेरी	पॉंडीचेरी	605001
29	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

Handwritten
on 18/3/22

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-

उत्तराखंड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 2021-22/

दिनांक: / /2022

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।


संलग्न संदर्भ:- सचिव उत्तराखंड शासन वित्त,(सा०नि-वे०आ०)अनुभाग- 7 संख्या:- 325/xxvii(7)02/2016
देहरादून दिनांक: 29.12.2021

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,


वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड,
23 लक्ष्मी रोड, आलनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

महालेखाकार,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड,
महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

संख्या: 564/नि0को0/एफ0डी0सी0(05)/2020/033

दिनांक: 5 मार्च, 2022

विषय: पेंशनर को माह जुलाई, 2021 से 3 प्रतिशत डी0ए0 का भुगतान न होने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री अनिल कुमार मित्तल, पेंशनर का पत्र दिनांक 07.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) जोकि कोषाधिकारी, आगरा, उत्तरप्रदेश को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से पेंशनर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनको 01 जुलाई, 2021 से 3 प्रतिशत डी0ए0 का भुगतान नहीं हो पाया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 325/XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के क्रम में राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों हेतु दिनांक 01.07.2021 से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य की गयी है। अतः उक्त शासनादेश को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने स्तर से महालेखाकार, उत्तरप्रदेश को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(पंकज तिवारी)
निदेशक।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अनिल कुमार मित्तल, न.नं.-37वी/341, नगला हवेली, दयालबाग, आगरा-5।

(पंकज तिवारी)
निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7
संख्या-325/XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section-7
No- 325/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 29 December, 2021

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-220/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-07-2021 से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f 01-07-2021 @ 31% instead of 28 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 220/XXVII(7)02/2016 Dated 24 September, 2021 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुग्तान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का मुग्तान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(Amit Singh Negi)
Secretary.

संख्या- 325/XXVII(7)02/2016, तददिनाक।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।


No 325/XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and
necessary action.


1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास
विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को
इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय
स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के
कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के
सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में
वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,
देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस
आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी
को इस की प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला,
देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस
आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50
प्रतियों मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग 7, उत्तराखण्ड
शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, ए-10आई0सी0, देहरादून।

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaryies/ Principal
Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public
Industry Development Department/Urban
Development, Govt. of Uttarakhand with the
request that the admisibility of dearness relief may
be permitted itself in the view of financial status
of the bodies/undertaking and there is no need of
finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate,
Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices,
Uttarakhand.
- 6- Accountant General Utrakhand, Mahalekhakar
Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50
extra copies with the request that account officers
of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari,
Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi
Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury
Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with
request that 50 copies of this G.O. be got printed
and sent to the Finance Section-7, Govt. of
Uttarakhand Please.
- 10- Director, NIC Dehradun.

आज्ञा से,


(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

By Order,


(Ganga Prasad)
Additional Secretary.